न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
08/20	एफएसएस एक्ट, 2006	03/09/2020

1. प्रेमचन्द्र जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।
–आवेदक

बनाम

1. विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री चंदनलाल अग्रवाल उम्र 52 वर्ष जाति महाजन (एफबीओ व मालिक)– फर्म– विनोद एण्ड कम्पनी , स्टेशन रोड, बजरिया गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर वार्ड नं0 19 अग्रवाल धर्मशाला के पास गंगापुर सिटी ।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 31 (2) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 29.04.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र जैन , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31 (2) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 29.10.2019 को साय 02:00 पीएम पर मैसर्स विनोद एण्ड कम्पनी, स्टेशन रोड बजरिया गंगापुर सिटी पर पहूँचा वहा पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम विनोद कुमार अग्रवाल स्व0 श्री चंदनलाल अग्रवाल उम्र 52 वर्ष जाति महाजन बताया। विनोद कुमार अग्रवाल अपनी दुकान पर नमकीन, रसगुल्ला, सोहन पपडी आदि खाद्य साम्रगी आम जनता को विकय करता है। आवेदक ने विनोद कुमार अग्रवाल से दुकान का वर्ष 2019–20 का खाद्य पदार्थ लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं का पहचान पत्र दिखाने को कहां तो उसने दुकान का ाद्य पदार्थ लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन नहीं होना बताया एवं फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन , राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यि संस्थान अधिनियम 1958 द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र एवं स्वयं का राशन कार्ड दिखाया ।

उक्त प्रकरण में खाद्य कारोबारकर्त्ता ने बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ही खाद्य करोबार कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31 (2) का उल्लंघन किया है जो धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी एक गरीब दुकानदार है जो स्टेशन बजरिया गंगापुर सिटी में छोटी सी दुकान में फर्म विनोद

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

एण्ड कम्पनी के नाम से विक्रय का कार्य करता है। प्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ लाईसेन्स की प्रति आवेदक को उपलब्ध करायी है। आवेदक द्वारा दिनांक 29.10.2019 को कार्यवाही करना बताया है। लेकिन दिनांक 29.10.2019 को ऐसी कोई कार्यवाही करने के लिए आवेदक सक्षम नहीं था, साथ ही वकील अभियुक्तगण ने उक्त कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य पदार्थ लाईसेन्स का अवलोकन किया गया। उक्त लाईसेन्स दिनांक 13.01.2020 से 12.01.2025 तक होना पाया गया। जबकि आवेदक द्वारा दिनांक 29.10.2019 को फर्म का निरीक्षण किया गया था। तत्समय का खाद्य पदार्थ लाईसेन्स की प्रति अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई, साथ ही अप्रार्थी के वकील ने दौराने बहस अवगत कराया कि दिनांक 29.10.2019 को आवेदक कार्यवाही करने हेतु सक्षम नहीं था। लेकिन अप्रार्थी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि दिनांक 29.10.2019 को आवेदक कार्यवाही हेतु सक्षम नहीं था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 58 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को 5000 (पांच हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी